प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक विविध याचिका संख्या 1179/2020

1 – छत्तीसगढ़ राज्य ,–पुलिस थाना के द्वारा शहर कोटवाली, राजनंदगांव, जिलाराजनंदगांव (छत्तीसगढ़)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1 – आनंद जैन पिता उत्तम जैन 39 वर्ष निवासी रामदहीन मार्ग, राजनंदगांव (छत्तीसगढ़), वर्तमान निवास 9, एफएफ, पंचवटी फाहेहाबाद मार्ग, आगरा, आगरा तिरौली, आगरा (उत्तर प्रदेश), जिलाःआगरा, उत्तर प्रदेश

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता/राज्य हेतु : श्री एच. एस. अहलूवालिया,उप महाधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :कोई नहीं।

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

21/03/2025

1. सत्र न्यायाधीश, जिला– राजनांदगांव (छ.ग.) के न्यायालय द्वारा जमानत याचिका क्रमांक 472/2018 में पारित दिनांक 14.09.2018 के आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर, जिसके तहत नीचे के विद्वान न्यायालय ने उत्तरवादी को जमानत प्रदान की है, जो कि पुलिस थाना सिटी कोतवाली, जिला– राजनांदगांव में पंजीकृत अपराध क्रमांक 36/2008 में भा.दं. सं कि धारा 307/34, 120 बी के तहत अभियुक्त है, राज्य तत्काल आवेदन प्रस्तुत करता है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 19.01.2008 को रात्रि लगभग 8.15 बजे परिवादी नवीन अग्रवाल जो कि घायल धर्मचंद अग्रवाल का पुत्र है, अपने कार्यालय में था तथा उसके पिता धर्मचंद अग्रवाल कार्यालय के अन्दर वाले कमरे में थे, उसी समय एक अभियुक्त कार्यालय में आया तथा घायल धर्मचंद अग्रवाल के बारे में पूछताछ करने लगा। घायल जैसे ही कमरे से बाहर आया, उक्त अभियुक्त ने उस पर गोली चला दी, जिससे घायल के सीने पर चोट आई। इसके बाद अभियुक्त अपने एक अन्य सह–अभियुक्त के साथ, जो बाहर मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहा था, मौके से भाग गया।तत्पश्चात नवीन अग्रवाल द्वारा दी गई रिपोर्ट पर देहाती नालसी दर्ज की गई, जिसके आधार पर थाना सिटी कोतवाली राजनांदगांव में धारा 307/34 भादवि एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 36/2008 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा 5 आरोपियों डी. शंकर, मिथलेश मरावी, राजकुमार, ए. चिन्ना एवं अभिषेक को गिरफ्तार किया गया। ए. चिन्ना द्वारा दिए गए ज्ञापन कथन में बताया गया कि घायल धरमचंद अग्रवाल की हत्या की सुपारी आरोपी आनंद जैन एवं सौरभ जैन द्वारा 4 लाख रुपए में दी गई थी। उक्त तथ्य की पुष्टि अन्य आरोपियों के ज्ञापन कथन से भी हुई।घायल धरमचंद अग्रवाल के केस डायरी कथन में यह बात सामने आई कि घायल का आनंद जैन और सौरभ जैन से संपत्ति का विवाद चल रहा है। यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि घटना के बाद अभियुक्त सौरभ जैन और आनंद जैन फरार हो गए थे।दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध 10.06.2010 को फरार बताते हुए पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया था और इसके बाद न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तगण आनंद जैन और सौरभ जैन के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।प्रारंभ में गिरफ्तार किए गए 5 अभियुक्तगण का वाद एस.टी. क्रमांक 20/2009 के तहत चला और दिनांक 17.02.2012 के निर्णय के तहत आरोपी डी. शंकर को भा.दं. सं. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। जबकि अन्य अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया।उत्तरवादी आनंद जैन द्वारा जमानत याचिका क्रमांक 472/2018 के तहत जमानत आवेदन दायर किया गया था और इसे विद्वान सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव द्वारा दिनांक 14.09.2019 के आदेश के तहत अनुमति दी गई है।आवेदक/राज्य उपर्युक्त आदेश दिनांक 14.09.2019 से व्यथित है और इसलिए, जमानत रद्द करने के लिए वर्तमान आवेदन दायर करने के लिए विवश है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. राज्य के विद्वान अधिवक्ता आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण का विरोध करते हैं।

4. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और याचिका के साथ संलग्न अंतिम रिपोर्ट, आरोप पत्र और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

5. जमानत की अस्वीकृति और पहले से दी गई जमानत को रद्द करने के विवाद्यक पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **दौलत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य** के मामले में (1995) 1 एससीसी 349 में कंडिका 4 में निर्णय सुनाया है, जो इस प्रकार है:–

"4.किसी गैर–जमानती मामले में प्रारंभिक स्तर पर जमानत की अस्वीकृति और इस प्रकार दी गई जमानत को रद्द करने पर अलग–अलग आधार पर विचार किया जाना चाहिए तथा उससे निराकरण किया जाना चाहिए। पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए बहुत ही ठोस और भारी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। सामान्य तौर पर, जमानत रद्द करने के आधार, मोटे तौर पर (उदाहरणात्मक और संपूर्ण नहीं) न्याय के प्रशासन के उचित तरीके में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास या न्याय के उचित तरीके से बचने या बचने का प्रयास या किसी भी तरह से अभियुक्त को दी गई रियायत का दुरुपयोग करना है। अभियुक्त के फरार होने की संभावना के बारे में अभिलेख पर रखी गई सामग्री के आधार पर न्यायालय की संतुष्टि जमानत रद्द करने को उचित ठहराने वाला एक और कारण है।हालांकि, एक बार जमानत दिए जाने के बाद उसे यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए, बिना इस बात पर विचार किए कि क्या किसी भी परिस्थिति ने इसे निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं बनाया है, ताकि अभियुक्त को मुकदमे के दौरान जमानत की रियायत का आनंद लेने के द्वारा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति मिल सके। ऐसा प्रतीत होता है कि इन सिद्धांतों को उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया था, जब उसने पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का निर्णय किया था। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने पहली बार में गैर–जमानती मामले में जमानत को खारिज करने और पहले से दी गई जमानत को रद्द करने के लिए प्रासंगिक कारकों के बीच अंतर को नजरअंदाज कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हजारी लाल दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (2009) 10 एससीसी 652 के मामले में कंडिका 7 में व्यवस्था दी है, जो इस प्रकार है:–––

"7. अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता द्वारा न्याय प्रशासन के उचित क्रम में हस्तक्षेप किया गया हो या हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया हो।अभिलेख से यह भी नहीं लगता कि उसे दी गई रियायत का किसी भी तरह से दुरुपयोग किया गया है।अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए कोई भी परिस्थिति सामने नहीं आई है और न ही कोई औचित्य दिखाया गया है।सत्र न्यायाधीश द्वारा अग्रिम जमानत देने में प्रयोग किए गए न्यायिक विवेक में उच्च न्यायालय द्वारा ठोस और पुष्ट परिस्थितियों के अभाव में हस्तक्षेप किया गया है। इस प्रकार, हम संतुष्ट हैं कि आक्षेपित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है।"

7. अभिलेखों के अवलोकन से मैंने पाया है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव ने 14.09.2018 को दं. प्र. सं. की धारा 439 के तहत आदेश पारित किया था और मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर प्रतिवादी को जमानत दी थी और याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई आधार नहीं उठाया गया है कि उत्तरवादी ने विचारण न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है, पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए बहुत ही ठोस और भारी परिस्थितियां आवश्यक हैं।सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा कोई अवैधता, दुराग्रह और क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं की गई है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क, याचिका में किये गये तर्क और जमानत रद्द करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के उपरोक्त सिद्धांतों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय को उत्तरवादी को दी गई जमानत रद्द करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिलता है।

9. इस आदेश की एक प्रति आवश्यक अनुपालन और अनुवर्ती कार्यवाही के लिए संबंधित विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

10. तदनुसार, वर्तमान याचिका बिना किसी आधार के होने के कारण खारिज कर दी जाती है।

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur